तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित–** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत,उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1 श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–2 **निर्णय** **दिनांक 16.03.2021** यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-03-2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पूर्वज के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सीलिंग द्वारा दिनांक 28-10-1975 को 72बीघा भूमि अधिग्रहण का निर्णय पारित किया, जिसकी पालना में असेसी द्वारा दिनांक 6-11-1975 को अधिग्रहित भूमि का विकल्प प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पारित निर्णय को राज्य सरकार के हितों के विपरीत मानते हुए आदेश दिनांक 28-02-1983 से प्रकरण रिओपन किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित किया, जिसके अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-10-1993 से खातेदार रामसुख से 5.04 स्टैण्डर्ड एकड एवं भवानीशंकर से 4. 21स्टैण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय के विरूद्ध खातेदारान की नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 21-06-1997 से आंशिक स्वीकार भवानीशंकर की 08बीघा 12बिस्वा व रामसुख की 11बीघा 18बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इसके उपरान्त खातेदारों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 13-10-1995 को निर्णीत किये गये। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उजरदारी प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24-04-1998 को खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-2 ने मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारापारित निर्णय दिनांक 18-08-2000 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09-03-2006 से प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से उजरदारी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सीलिंग प्रकरण का पूर्व में निर्णीत होने के बाद पुनः रिमाण्ड किया गया था प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण दिनांक 23-10-1993 के अन्तिम आदेश हो जाने के पश्चात् आवंटित होने योग्य भूमि उपलब्ध नहीं रही, तब अपीलार्थी दिनांक 23-10-1993 के पश्चात् अपना अन्तिम विकल्प प्रस्तुत करने के स्वतन्त्र था। उनका कथन है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारों के पक्ष में दिनांक 27-10-1993 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित किये गये अन्तिम निर्णय के बाद पूर्व पारित निर्णय स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है और प्रभावहीन होने से आवंटन होने हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं रहती है तथा इसी आधार पर पुनः आराजी अपीलार्थीगण के खाते दर्ज करना तहत न्यायालय का कर्तव्य था। उनका कथन है कि दिनांक 27-10-1993 के आदेश की पालना में दिनांक 23-09-1997 को आवंटी को बेदखल कर भूमिधारी को कब्जा सम्भलाया जा चुका है। उनका कथन है कि जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि को वापिस लौटाये जाने के आदेश पारित कर दिये तब अधिग्रहित भूमि पुनः भूमिधारी के खातेदारी में अंकित होना कानून सम्मत् होता है क्योंकि आवंटी को किया गया आवंटन स्वतः ही अपीलार्थी द्वारा विकल्प प्रस्तुत करते ही निरस्त हो चुका है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार को वर्ष 1976 में असेसी से अधिग्रहित भूमि में से खसरा नम्बर 504 रकबा 07बीघा 04बिस्वा भूमि कीमतन आवंटित हुई, जिसकी पालना में आवंटी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। तभी से आवंटी आवंटित भूमि पर आदिनांक तक काबिज काश्त चला आ रहा है एवं विवादित आराजी को काफी श्रम व धन खर्च कर उपजाऊ बनाया है। उनका कथन है कि वर्ष 1976 में कीमतन आवंटित भूमि के आवंटन आदेश को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त लम्बी अवधि पश्चात् कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि भूमिधारी पूर्व में प्रस्तुत विकल्प को बदल कर नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि पूर्व में भूमिधारी से अधिग्रहित भूमि सिवायचक दर्ज होकर नियमानुसार उनके पक्षकार को कीमतन आवंटन हुई। उनका कथन है कि भूमिधारी से जो सरप्लस भूमि अधिग्रहित की जानी है, उसका समायोजन उनके पक्षकार को पूर्व में आवंटित की गयी भूमि में किया जाना विधिनुसार न्यायोचित है अन्यथा उनके पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित होगी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पूर्व पारित निर्णयों का अवलोकन किया। पत्रावली, पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पूर्वज के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सीलिंग द्वारा दिनांक 28-10-1975 को 72बीघा भूमि अधिग्रहण का निर्णय पारित किया, जिसकी पालना में असेसी द्वारा दिनांक 6-11-1975 को अधिग्रहित भूमि का विकल्प प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पारित निर्णय को राज्य सरकार के हितों के विपरीत मानते हुए आदेश दिनांक 28-02-1983 से प्रकरण रिओपन किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित किया, जिसके अनुसरण में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-10-1993 से खातेदार रामसुख से 5.04 स्टैण्डर्ड एकड एवं भवानीशंकर से 4.21स्टैण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध खातेदारान की नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 21-06-1997 से आंशिक स्वीकार कर भवानीशंकर की 08बीघा 12बिस्वा व रामसुख की 11बीघा 18बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये। इसके उपरान्त खातेदारों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 13-10-1995 को निर्णीत किये गये। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उजरदारी प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24-04-1998 को खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-2 ने मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारापारित निर्णय दिनांक 18-08-2000 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09-03-2006 से प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से उजरदारी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। उक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1975 में असेसी के सीलिंग प्रकरण का निस्तारण करते हुए 72बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित हुए, जिसकी अनुपालना में असेसी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विकल्प प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् अधिग्रहित भूमि सिवाय चक दर्ज होकर प्रत्यर्थी संख्या-2 को वर्ष 1976 में विवादित आराजी कीमतन आवंटित हुई। वर्ष 1976 में कीमतन आवंटित भूमि के आवंटन आदेश को इस आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2439/2006/बूंदी मूलचन्द बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त नहीं किया जा सकता कि असेसी से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उसके द्वारा नया विकल्प प्रस्तुत कर उसके द्वारा पूर्व में सरेण्डर की गयी भूमि को असेसी स्वयं के पास रखना चाहता है। प्रस्तुत प्रकरण में जब असेसी द्वारा पूर्व में ही विकल्प प्रस्तुत दिया, जिसके उपरान्त अधिग्रहित भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होकर वर्ष 1976 में ही कीमतन आंवटित हो गयी तो असेसी अपीलार्थीगण को नया विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत उजरदारी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	